अति महत्वपूर्ण
ई–मेल

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०–7प/अंके० नियुक्ति–10–02/2022(खण्ड–III)/770/पं०रा०, दिनांक 11/11/2025

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प–सह–ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधान एवं शर्तो के तहत तथा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक–11.09.2024 को आयोजित बैठक की कार्यवाही की अनुशंसा के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–416 दिनांक–17.09.2024 के द्वारा सेवानिवृत्त वरीय अंकेक्षण अधिकारियों का नियोजन विभाग में योगदान की तिथि से प्रथमतः एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक के लिए किया गया था।

अतएव उक्त के आलोक में संविदा पर नियोजित वरीय अंकेक्षण अधिकारियों के समाप्त हो रहे उनके एक वर्ष के संविदा नियोजन की अवधि को उनके समाप्ति की तिथि से एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक के लिए विस्तारित किया जा रहा है। वैसे वरीय अंकेक्षण अधिकारियों जिनका संविदा नियोजन की अवधि विस्तारित की जा रही है उनका नाम निम्नवत् है:–

क्र०. स०	वरीय अंकेक्षक अधिकारी का नाम	जन्म तिथि / सेवानिवृति की तिथि	गृह जिला	पदस्थापित कार्यालय का नाम	संविदा अवधि समाप्त होने की तिथि	विस्तारित समय अवधि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री ब्रजेन्द्र किशोर ठाकुर	19.11.1961 / 30.11.2021	दरभंगा	जिला पंचायत राज कार्यालय, पूर्णिया	18.09.2025	17.09.2026	
2.	श्री अखिलेश कुमार	18.12.1961 / 31.12.2021	पटना	जिला पंचायत राज कार्यालय, भोजपुर	18.09.2025	17.09.2026	
3.	मो० अनवर हुसैन	03.01.1964 / 31.01.2024	सिवान	जिला पंचायत राज कार्यालय, छपरा, सारण	20.09.2025	19.09.2026	
4.	मो० शाहिद अंसारी	16.12.1963 / 31.12.2023	पटना	जिला पंचायत राज कार्यालय, गयाजी	22.09.2025	21.09.2026	

2. उपर्युक्त संविदा नियोजन निम्नांकित शर्तो के अधीन है:–

(क) योगदान की तिथि से प्रथमतः एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनकें कार्यो की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा।

(ख) प्रोन्नत पद पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति होते ही प्रोन्नति के पद पर किया गया ऐसा नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।

(ग) संकल्प की कंडिका–3(2)(क)(IV) के तहत कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रदद् की जा सकेगी।

(घ) संविदा नियोजित कर्मियों को देय मासिक मानदेय का निर्धारण संकल्प की कंडिका–3(6)(i) तथा 3(7)(iii) के आलोक में किया जायेगा तथा अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण संकल्प के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

(ड़) संकल्प की कंडिका–5 के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

(च) संविदा नियोजन के पश्चात् किसी प्रकार के आरोप एवं समर्पित शपथ पत्र में अंकित तथ्य से भिन्न सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार कानुनी कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–7प/अंकेक्षकनियुक्ति–10–02/2022(खण्ड–III)/13473 पं०रा०,पटना,दिनांक 11/11/2025
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार पटना/ संबंधित आयुक्त/संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं संबंधित वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी (संविदा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–7प/अंकेक्षकनियुक्ति–10–02/2022(खण्ड–III)/13473 पं०रा०,पटना,दिनांक 11/11/2025
प्रतिलिपिः–निकासी एवं व्ययन पदाकिारी/प्रशाखा पदाधिकारी–05/विभागीय आई० टी० मैनेजर/प्रौग्रामर, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–7प/अंकेक्षकनियुक्ति–10–02/2022(खण्ड–III)/13473 पं०रा०,पटना,दिनांक 11/11/2025
प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव